

XXIII-D-3

Settlt.

अदालत श्री अनुविभागीय अधिकारी एवं विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि) तह0 रघुराजनगर (परिवर्तित भूमि पर पुर्ननिर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री गौरीचरण दुबे पिता भगवानदास दुबे सा0 भरहुतनगर सतना पट.ह.नं. 50 तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 53 अ2/2010-11 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला-सतना के आदेश दिनांक 30/10/2010 के अनुसार निम्नलिखित पुर्ननिर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है:-

नाम ग्राम मय बंदोवस्त नम्बर व ह.नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लाट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
महदेवा 50	85/क/3 का अंश	10000 वर्गफुट (दस हजार वर्गफुट)	व्यवसायिक पुर्ननिर्धारण भू-राजस्व वार्षिक व्यवसायिक 270-00 रू0 प्रीमियम व्यव014000-00 रू0 नोट:- म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(2) के तहत पुर्ननिर्धारण स्वीकृत। जो वर्ष 2010-11 से देय होगा

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 14000-00 रूपया और जुर्माना 2000-00.रूपया अरोपित किया जाता हैं जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 04/11/2010 तक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

अनुविभागीय अधिकारी,
रघुराजनगर
जिला-सतना (म0प्र0)
जिला-सतना (म.प्र.)



नोटिस प्रपत्र "बी"

श्री गौरीचरण दुबे तनय भगवानदास दुबे साकिन भरहुत नगर सतना
जिला सतना (म.प्र.) —आवेदक

बनाम


म०प्र० शासन

—अनावेदक

1. आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक: 685/अ2/2013-14 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला-सतना के आदेश दिनांक-23.7.14 के अनुसार निम्नलिखित पुर्ननिर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है:-

नाम ग्राम नय बंदोबस्त नम्बर व हर्न	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुर्ननिर्धारण (जमा)
मौजा महदेवा	85/क/3	<u>रकवा</u> 43996 वर्गफिट <u>आवासीय</u> (तैंतालिस हजार नौ सौ छियान्बे वर्गफिट)	<u>आवासीय पुर्ननिर्धारण</u> भू-राजस्व आवासीय 792-00 रू० प्रीमियम आवासीय 30798-00 रू०। <u>नोट:-</u> म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत व्यपवर्तन स्वीकृत। पुर्ननिर्धारण वर्ष 2013-14 से वार्षिक देय होगा।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 30798.00 रुपया अथं दण्ड-निरंक निर्धारित किया जाता है। आवेदक द्वारा चालान दि०-..... या इसके पूर्व रू०-31590.00 (इकतिस हजार पाँच सौ नब्बे मात्र) जमा कर प्रस्तुत किया जाय।


अनुविभागीय अधिकारी
रघुराजनगर
जिला सतना (म.प्र.)